



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग (भरतपुर) राज०

### व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर०ए०एस०

मु०स० 35/2011 राजस्व वाद

1. हरपाल पुत्र लेखराम उर्फ रेखपाल कौम फौजदार जाट नि० ग्राम गिरसै तहसील डीग  
-वादी

#### बनाम

2. तहसीलदार तहसील डीग जारिये राजस्थान सरकार
3. जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर

-प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88-89,  
188 आर०टी०एक्ट 1955



#### निर्णय

दिनांक 08.11.18

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88-89, 188 के तहत इस आशय को पेश किया है कि हाल आराजी ख०न० 137/0.18, 154/0.32, 157/0.11, 158/0.09 स्थित है। हाल ख०न० 137/0.18 जो पुराने ख०न० 6 व 7 मि० से तथा ख०न० 154/0.32 पुराने ख०न० 6 मि० से व ख०न० 157/0.11 पुराने ख०न० 6 व 7 मि० से तथा ख०न० 158/0.09 पुराने ख०न० 6 व 7 मि० से बनाये गये है। वादी का उक्त चारों नम्बरों पर कब्जा काश्त है जिसका रकबा करीब  $4\frac{1}{2}$  बीघा पर निःशुल्क विनियमन हुआ था। इसका अंकन खसरा गिरदावरी संवत् 2035-2038 में वादी के नाम का नोट लगा हुआ है। वादी का उक्त आराजी पर 50 साल से कब्जा काश्त है। परन्तु हाल ख०न० 137/0.18, 154/0.32, 157/0.11, 158/0.09 पर वादी के स्थान पर मकबूजा सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो खिलाफ कानून है। जबकि जो राजस्थान के आदेश जिलाधीश महोदय भरतपुर के आदेश दिनांक अप्रैल 1972 12/06(15) राज०/70 के अनुसार हुआ था। जबकि राजस्थान सरकार के आदेश सं० एफ० 15(648) राज०/(ख) 65 जयपुर दिनांक 29.12.1966 के अनुसरण में

उप खण्ड अधिकारी  
डीग (भरतपुर) राज.

अतिक्रमी से अतिक्रमण की गई भूमि  $4\frac{1}{2}$  बीघा का मूल्य 250/- प्रति बीघा की दर से 1125 रुपये देकर विनियमन करा लिया था। परन्तु तहसीलदार डीग ने वादी को घना गिरसै में खातेदार दर्ज नहीं किया। हाल विवादित आराजी पर खिलाफ कानून मकबूजा सरकार दर्ज है। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग पत्र सं० 65 जयपुर दिनांक 01.10.1965 जिलाधीश भरतपुर प्रति जिलाधीश महोदय भरतपुर प्रार्थना पत्र दिनांक 02.09.1965 ग्रामवासी प्रतिमाननीय राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर व प्रति० जिलाधीश भरतपुर सं० एफ 15(648)राज० (ख) 65 जयपुर दिनांक 29.12.1966 व प्रभारी अधिकारी (राजस्व) कार्यालय जिलाधीश भरतपुर पत्र संख्या राजस्व 19194 दिनांक 12.12.1975 पेश है। ग्राम गिरसै तहसील डीग को सरकारी भूमि पर अनाधिकृत आधिपत्य का नियमन प्रसंग-इस कार्यालय के पृष्ठाकन संख्या 5283-5408 दिनांक 22.07.1972 तथा 5527-5582 दिनांक 25.07.1972 आपका पत्र क्रमांक 70 दिनांक 15.11.1975 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-7) विभाग जिलाधीश भरतपुर क्रमांक 10 (25 राज०) जयपुर दिनांक 16.02.1981 प्रतिलिपि पत्र क्रमांक पं० 6 (25) राज० ग्रुप-4/ -80 जयपुर दिनांक 16.12.1981 की ओर से उप शासन सचिव राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-4) विभाग निमित्त जिलाधीश भरतपुर सन्दर्भ आपका पत्र क्रमांक 1857-1858 दिनांक 23.04.1980 कार्यालय श्रीमान जिलाधीश भरतपुर के लिए सूचनार्थ आवश्यक कार्यावाही हेतु क्रमांक राजस्व 12/12/ 1679/795-96 दिनांक 07.03.1981 (1) उपजिलाधीश डीग (2)तहसीलदार डीग पेश की है फिर भी तहसीलदार डीग ने राजस्थान सरकार के आदेशों की अवहेलना की है। इस प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा जिलाधीश भरतपुर को व तहसीलदार डीग को घना गिरसै की भूमि पर अतिक्रमी वादी ग्राम गिरसै को शुल्क लेकर विनियमन किया गया था। वादी के कब्जे काशत खातेदारी की आराजी पर उक्त गलत इन्दाज के आधार पर प्रतिवादीगण वादी को उसकी खातेदारी की आराजी से बेदखल कर देना चाहते हैं जबकि जिलाधीश भरतपुर का व तहसीलदार डीग का ऐसा कोई आदेश राज्य सरकार ने नियमन के बाद नहीं दिया है। परन्तु वादी को विनियमित के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी से वंचित कर दिया है। राजस्व रिकॉर्ड में मकबूजा रखकर गलत घोषित कर रखा है जबकि वादी का आराजी पर दिनांक 01.07.1975 से पूर्व में भी अपनी आराजी पर कब्जा काशत चला आ रहा है। वादी नियमन से पूर्व



*[Signature]*  
 उप खण्ड अधिकारी  
 डीग (भरतपुर) राज.

से ही आराजी मुत0 पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। अतः दावा वादी डिक्री फरमाया जावे कि वादी को हाल आराजी घना गिरसै के ख0न0 137/0.18, 154/0.32, 157/0.11, 158/0.09 है0 बाकै ग्राम घना गिरसै तहसील डीग पर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दावा की जबाव देही हेतु प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रति0 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित अदालत आये। पैरोकार सरकार ने अपना जबाव दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल ख0न0 137/0.18, 154/0.32, 157/0.11, 158/0.09 है0 बाकै ग्राम घना गिरसै जो राजस्व रिकॉर्ड में मकबूजा सरकार के खाते में दर्ज है तथा सरकारी भूमि है। उक्त आराजी कभी भी वादी एवं इसके पूर्वजो को कभी भी आवंटित/नियमन नहीं हुई है। वादी का आराजी मुत0 पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी का कथन निराधर व रिकॉर्ड से विपरीत होने के कारण सरकारी भूमि को हडपने का षडयन्त्र है। दावा वादी खारिज योग्य है। वादीगण अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है वादी का आराजी मुत0 पर कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। वादी को कभी भी आराजी मुत0 का नियमन नहीं हुआ है। आराजी मुत0 सरकारी भूमि है जो कि वादी व इसके पूर्वजो को कभी भी आवंटित/नियमन नहीं वादी का आराजी मुत0 पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है दावा वादी निराधार होने से खारिज योग्य है अतः दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

वादीगण के दावा व प्रतिवादी के जबाव दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई

**तनकी सं0 1.**—आया वादीगण विवादित आराजीयात पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है।

**तनकी सं0 2.**— आया वादी साढ़े चार बीघा आराजी घना गिरसै में कीमत/निःशुल्क से विनियमन हुआ है।



**उप खण्ड अधिकारी**  
डीग (भरतपुर) राज.

तनकी सं० 3.— आया वादी के गांव गिरसै के काश्तकारों के नाम घना गिरसै में से विनियमन की डिक्री/उद्घोषणा न्यायालय हाजा द्वारा की गई।

तनकी सं० 4.— आया वादी का कब्जा काश्त विनियमन से पूर्व से ही चला आ रहा है।

तनकी सं० 5.—आया वादीगण विवादित आराजी बावत प्रति० को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।

तनकी सं० 6.—आया वादी घना गिरसै की आराजी की उद्घोषणा हेतु राज्य सरकार से आदेश प्राप्त हुए थे तथा 54 काश्तकारों को दिनांक 02.06.1989 को घना गिरसै की आराजी का नियमित काश्तकार घोषित किए जा चुके हैं।

तनकी सं० 7.— दादरसी

वादीगण द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद बहस की/वकील वादीगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :-

तनकी सं० 1 लगायत 4— इन तनकीयों को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड में नकल जमाबन्दी सं० 2067-2070 बाँके ग्राम घना गिरसै के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख०न० 137/0.18, 154/0.32, 157/0.11, 158/0.09 है० कॉलम सं० 4 में मकबूजा सरकार दर्ज रिकॉर्ड है तथा कॉलम सं० 4 में भी मकबूजा सरकार दर्ज है। उक्त रिकॉर्ड के अलावा वादी ने फोटो प्रतियाँ जो राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पत्राचार/पत्र व्यवहार की पेश कि है उनके वादी पर उनके पूर्वजो के द्वारा में किसी प्रकार के कोई अंकन नहीं है । वादी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड में वादी या उनके पूर्वजो के नाम के कोई अंकन नहीं है बल्कि तहसीलदार/पैरोकार सरकार के द्वारा प्रस्तुत जबाव दावे में अंकित कथन आराजी मुतनामा सरकारी भूमि है जो कि वादी व इसके पूर्वजो को कभी आंवटित/नियमन नहीं हुई है वादी का आराजी मुतनाजा पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है।



उप खण्ड अधिकारी  
डीग (भरतपुर) राज.

दावा वादी निराधार होने से दावा खारिज योग्य है। उक्त कथन की पुष्टि होती है। इस प्रकार वादी अपने वाद के कथन को पुष्ट करने में असफल रहें है। इसलिए इन तनकीयातों का निर्णय विरुद्ध वादी किया जाता हैं।


**तनकी सं० 5.**—तनकी सं० 1 लगायत 4 का निर्णय विरुद्ध वादी हुआ है। वादी विवादित आराजी की बावत प्रति० को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। अतः इस तनकी का निर्णय भी विरुद्ध वादी किया जाता हैं।

**तनकी सं० 6.**—इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है जिसे किसी विश्वनीय दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने में वादी असफल रहा है। अतः इसी आधार पर यह तनकी विरुद्ध वादी निर्णित की जाती है।


**दादरसी** — तनकी सं० 1 लगायत 5 का निर्णय विरुद्ध वादी हुआ है। इसलिए वादी का दावा काबिले खारिजी के है।

**अतः आदेश है कि —**

दावा वादी प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड से पुष्ट न होने पर खारिज किया जाता है।  
मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

  
उप खण्ड अधिकारी  
डीग (भरतपुर) राज  
उपखण्ड अधिकारी  
डीग (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक .....०८/११/१८..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उप खण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
डीग (भरतपुर)



# डिगरी व मुकदमे इत्तदाई

(ओ. 20 रू 6-7 जाप्ता दीवादी)

(Civil Procedure Code Appendix "D" I)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग (भरतपुर) राज०  
व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर० ए० ए० एस०

1. हरपाल पुत्र लेखराम उर्फ रेखपाल कौम फौजदार जाट नि० ग्राम गिरसै तहसील डीग

—वादी

## बनाम

1. तहसीलदार तहसील डीग जारिये राजस्थान सरकार
2. जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88-89, 188 आर० टी० एक्ट 1955  
मुकदमा नं० 35/2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता मिनजानिव पक्षकारान मिनजानिव मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादीगण प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड से पुष्ट न होने पर खारिज किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

आज ..... मुवलिगः.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व भाहर..... को सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक..... को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख..... माह..... सन..... को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी  
दस्तखत.....  
डीग (भरतपुर) राज.  
ओहदा.....



मीजान	रूपया	पैसे	मुद्दालय	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	2				
स्टाम्प वकालतनामा	2		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प अरजी		
महनताना वकील )पर			महनताना वकील )पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमि नर			फीस कमि नर		
बावत इजराय हुक्मनामा			बावत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	2		मुतफरिक		
मीजान			मीजान		